वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2018-भाद्र 30, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर, 2018

क्र./812/विधि/प्रनिबो/2018.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-49(1) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-43(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचना क्रमांक 235/विधि/प्रनिबो/2012, दिनांक 28 जून, 2012 द्वारा सारणी में सूचीबद्ध अधिकारियों एवं प्राधिकारियों को उक्त धाराओं के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिये प्राधिकृत किया गया था. राज्य बोर्ड की 142वीं बैठक दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 व 144वीं बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2017 द्वारा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उक्त धाराओं के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत करने के निर्णय के फलस्वरूप प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पदनाम एवं कार्यक्षेत्र को यथास्थान समाविष्ट कर उक्त अधिसूचना में निम्न सारणी प्रतिस्थापित की जाती है:-

सारणी

क्रमांक	प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी	अधिकारिता क्षेत्र
1.	अध्यक्ष/सदस्य सचिव/डायरेक्टर (पर्यावरण)/ मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
2.	अधीक्षण यंत्री/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	संबंधित क्षेत्र
3.	कार्यपालन यंत्री/मुख्य रसायनज्ञ	संबंधित क्षेत्र
4.	वैज्ञानिक/सहायक यंत्री	संबंधित क्षेत्र
5.	कनिष्ठ वैज्ञानिक	संबंधित क्षेत्र
6.	रसायनज्ञ	संबंधित क्षेत्र
7.	उपयंत्री	संबंधित क्षेत्र

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
के नाम से तथा आदेशानुसार.

NOTIFICATION

Bhopal, Dated: 11th September, 2018

No. 812/Legal/PCB/2018.—As per powers conferred under section-49(1) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974- and section 43(1) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, M.P. Pollution Control Board vide notification dated 235/Legal/PCB/2012 dated 28, June 2012 had authorised .officers and authorities listed in the table to carry out the purposes of those sections. Due to the State Board authorising other officers/employees vide decision taken in 142nd Meeting Dated 24 October, 2016 & 144th Meeting Dated 26 July, 2017 of the State Board, after inclusion of the designation and jurisdiction of authorised officers/employees at appropriate places, following table is substituted in the said notification :-

Table

Sr.	Authorised Officer/Employee	Jurisdiction
1.	Chairman/Member Secretary/Director (Enviroment)/Chief Scientific Officer.	Whole of Madhya Pradesh
2.	Superintendent Engineer/Chief Scientific Officer	Concerning Area
3.	Executive Engineer/Chief Chemist	Concerning Area
4.	Scientist/Assistant Engineer	Concerning Area
5.	Junior Scientist	Concerning Area
6.	Chemist	Concerning Area
7.	Sub Engineer	Concerning Area

For & on behalf of
M.P. Pollution Control Board.

A. A. MISHRA,
Member Secretary.

(491-A-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को उक्त जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मैं, मुन्नीबाई पिता श्री धन्नालाल के नाम से जानी जाती थी. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती मनोरमा वर्मा पति श्री बद्रीलाल जी वर्मा होकर मेरे समस्त शासकीय अभिलेख एवं आधार कार्ड, मतदाता परिचय-पत्र, बैंक खाता आदि में दर्ज है. मेरे पति द्वारा भूलवश परिवार पेंशन प्रयोजनार्थ मेरा नाम मुन्नीबाई दर्ज करा दिया है. मैं, अपने पति स्व. श्री बद्रीलाल वर्मा के पेंशन रिकार्ड में अपना नाम मनोरमा वर्मा पति स्व. श्री बद्रीलाल वर्मा दर्ज करवाना चाहती हूँ. जिस किसी को आपत्ति हो इस जाहिर सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मुझे अवगत करावें.

पुराना नाम :
(मुन्नीबाई)
पिता श्री धन्नालाल.

नया नाम :
(मनोरमा वर्मा)
पति स्व. श्री बद्रीलाल वर्मा,
निवासी-H-9/37 EWS, ऋषिनगर, उज्जैन.

(480-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरा नाम अजय गुप्ता जहां भी लिखा है, वह गलत है. जबकि मेरा सही नाम अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री शिवशंकर गुप्ता है. यही नाम मेरे आधार कार्ड आदि दस्तावेजों में लिखा हुआ है. मुझे भविष्य में अजय कुमार गुप्ता के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(अजय गुप्ता)

नया नाम :
(अजय कुमार गुप्ता)
पुत्र श्री शिवशंकर गुप्ता,
पता-शिव सदन, मीना मार्केट के पीछे,
डीडवाना ओली, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(481-बी.)